

प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

कार्यालय आदेश

श्री एस० एस० पाण्डेय, विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक – 410 (17) दिनांक – 30.04.2021 के निदेशानुसार, COVID-19 वैशिक महामारी के परिपेक्ष्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवा-सुविधा उपलब्ध कराने के मद्देनजर इस चिकित्सा महाविद्यालय में पी०जी० फाईनल वर्ष के छात्र/छात्राओं (जो MD/MS Examination, 2021 में शामिल होने वाले हैं तथा जिनका अध्ययन अवधि ३० मई, 2021 में समाप्त होने वाला है) को अगले तीन माह का अवधि विस्तार किया जाता है तथा निदेशानुसार उन्हे देय छात्रवृत्ति का लाभ भी अगले तीन माह तक देय होगा।

प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक:— 649/2)

दिनांक:— 315/2021

प्रतिलिपि:—

- 1) प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2) श्री एस० एस० पाण्डेय, विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को उनके पत्रांक – 410 (17) दिनांक – 30.04.2021 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- 3) जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4) अधीक्षक/उपाधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- 5) विभागाध्यक्ष, एनाटोमी/फिजियोलौजी/पैथोलौजी/फार्माकोलौजी/पी०एस०एम०/मेडिसीन विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- 6) विभागाध्यक्ष, मेडिसीन विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- 7) नोडल पदाधिकारी, COVID-19, मेडिसीन विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- 8) बरसर/लेखापाल/विपत्र लिपिक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- 9) प्रभारी प्राध्यापक प्रशासन/Estate Officer, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 10) MD/MS Examination, 2021 में शामिल होने वाले सभी पी०जी० छात्र/छात्रा, एनाटोमी/फिजियोलौजी/पैथोलौजी/फार्माकोलौजी/पी०एस०एम०/मेडिसीन विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- 11) कॉलेज वेबसाईट।

प्राचार्य 315/21

श्री कृष्ण f. c. s. महाविद्यालय

Principal

S. K. Medical College
Muzaffarpur

संस०-१७ / विविध-०१-५६/२०२१- ४१० (१७)
 विहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

एस० एस० पाण्डेय,
 विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

प्राचार्य/ज्योतिका,
 सभी विकितसा महाविद्यालय एवं अस्पताल, विहार।

विषय-

वैशिक महामारी (कोविड-१९) के घटियों में राज्य के विकितसा महाविद्यालयों में अध्ययनरत्
 स्नातकोत्तर/डिप्लोमा छात्रों की सेवा लेने के संबंध में।

महाराज,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में सम्बंधित नोवल कोरोना
 वायरस से उत्थन वैशिक महामारी का प्रकोप घाट रहने के कारण "The Epidemic Diseases Act, 1897"
 लागू है। कोविड-१९ के संक्रमण के प्रसार के मामले को नियन्त्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवा-सुविधा
 उपलब्ध कराने के लिए राज्यविभाग के सभी विकितसामानों एवं स्वास्थ्य कार्मियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण
 है।

उल्लेखनीय है कि राज्य के विभिन्न विकितसा महाविद्यालय एवं अस्पतालों ने अध्ययनरत्
 स्नातकोत्तर/डिप्लोमा छात्रों की परीक्षा और इन्हें ज्ञान विविद्यालय, पटना द्वारा अगले आदेश तक स्थगित
 कर दी गई है। यूकि राज्य के जनमानस के विकितसीय हितों की रक्त छेत्र उक्त स्नातकोत्तर/डिप्लोमा छात्रों
 जिनको अपने-अपने विकितसा महाविद्यालयों में कार्य करने का अनुमति है।

आइए कोविड-१९ के संक्रमण के प्रसार के मामले को नियन्त्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य
 सेवा-सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उक्त अनुग्रही स्नातकोत्तर/डिप्लोमा छात्रों को संबंधित विकितसा
 महाविद्यालय एवं अस्पताल में नियत रात्र अधिष्ठि के अतिरिक्त ०३ माह तक विकितसीय कार्य करने की
 स्वीकृति प्रदान गई जाती है। उक्त हेतु पी०वी० अध्ययनरत् छात्रों को तुतीय वर्ष में दिये जाने वाले मासिक
 मानदेय ९५,०००/- (पन्द्रावनवै हजार रुपये) मात्र की दर से तथा डिप्लोमा अध्ययनरत् छात्रों को द्वितीय वर्ष
 में दिये जाने वाले मासिक मानदेय २०,०००/- (निम्न हजार रुपये) मात्र की दर से भुगतान देय होगा।

इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

विश्वविद्यालय,

१३ अप्रैल २०२१

(एस० एस० पाण्डेय)

विशेष कार्य पदाधिकारी।